

१९.५.२५

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी लगातार विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। स्पष्ट है इन्हे इस वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गयी है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 8 के तहत इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।



उपसमाहर्ता, भु0 सु0,
सदर मेदिनीनगर।